वित्तीय स्वीकृति

संख्या-13/354/52-3-14-8(6)/05

प्रेषक

देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में

□□□□(□□र्यपालक अधिकारी)
□0प्र0 राज्य हज समिति
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अन□□□-3 लखनऊ दिनांक 26 फरवरी, 2014

विषयः-□□□□ गाजियाबाद में आला.हजरत हज हाउस परिसर में नये बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या.जी0-11/645-□□0□□0□□0-13 दिनांक 23.08.2013 □□संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गाजियाबाद में आला.हजरत हज हाउस परिसर में लगभग 2500 यात्रियों की क्षमता तथा उन्हें रहने, खाने व हज से जुड़ी अन्य सेवायंे उपलब्ध कराने हेतु नये बहुमंजिला भवन के निर्माण के लिये व्यय वित्त समिति द्वारा रू0 3577.09 □□ख की लागत निम्नानुसार आंकलित की गयी है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0□0	□□□	अनुमोदित □□□
1	प्रायोजनान्तर्गत फेज.1 में प्रस्तावित 17 कार्यों की लागत	1716.69
2	प्रायोजनान्तर्गत फेज.2 में प्रस्तावित कार्यों की लागत	954.53
3	प्रायोजनान्तर्गत फेज.2 में प्रस्तावित 90 कार्यों की लागत	905.87
	□□□	3577.09

प्रायोजना की अनुमोदित लागत रू0 3577.09 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये प्रथम फेज के कार्यो □□ □□□□□□□□□□□□अनुमोदित आगणन रू0 17,16,69,000/-के सापेक्ष, गाजियाबाद हज हाउस के निर्माण हेतु शासन द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि में से कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0□□0 □□ □□□□ □□□□□ अवशेष बची धनराशि रू0 131.265 लाख को समायोजित करते हुये श्री राज्यपाल महोदय 0 15,85,42,500/- (रू0 पन्द्रह करोड़ पच्चासी लाख बयालिस हजार पाँच सौ) की धनराशि निम्नांकित शर्तोंध्प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत करते हुये सचिव/र्यपालक अधिकारी □0प्र0 राज्य हज समिति के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(i) प्रायोजना का निर्माण कार्य 02 वर्ष के अन्दर आवश्य पूर्ण कर □□□ □□□□

(i) प्रथम फेज के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण होने एवं इन कार्यों को जन उपयोगी स्तर तक लाने के उपरान्त द्वितीय फेज एवं इसी प्रकार द्वितीय फेज के पूर्ण होने पर तृतीय फेज के क्रियान्वयन पर विचार किया जायेगा। तदनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(i) प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्तावध्आगणन का गठन सी0एण्ड डी0□□0 □□ निगम द्वारा किया गया है अतः उक्त कार्यदायी संस्था से इतर किसी संस्था से निर्माण कार्य कराये जाने की स्थिति में यह कार्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा।

(i) हज हाउस से निर्माण से संबंधित प्रथम एवं द्वितीय प्रायोजना के अन्तर्गत अवशेष कार्यों को राज्य हज समिति द्वारा अपने स्रोतो जन उपयोगी स्तर तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगाए राज्य सरकार द्वारा इन अवशेष कार्यों हेतु कोई भी धनराशि अनुमन्य नहीं की □□□□□

(i) हज यात्रा के बाद शेष अवधि में इस भवन के पूर्ण सदुपयोग को सुनिश्चित करने हेतु एक ऐसी कार्य योजना तैयार कर सक्षम स्तरसे अनुमोदित करायी जायेगीए जिससे शासकीय धन से निर्मित कराये गये □□ भवन का अधिकतम उपयोगध्पूर्ण □□□□□□ □□ □□□

(i) प्रयोजना का निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरणध्सक्षम लोकल अथा◌ॅरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। तदोपरान्त ही निर्माण कार्या आरम्भ कराया □□□□□

(i) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक ३ त्तिया एवं पर्यावरणीयक्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

(i) एक मुश्त आधार पर प्रस्तावित कार्यों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सुनिश्चित किया □□□□□

(i) प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे.नये कार्य बढ़ानाए कार्यों के आकारध्क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाॅ इस्तेमाल करना इत्यादि का बगैर शासन के व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनिकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइनध्ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती हैए तो इस स्थिति मंे पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव □□ 03 माह के अन्दर शासन का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना □□□□□र्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित योजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(i) प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति;डुप्लीकेसीद्ध को रोकने की दृष्टि से हज समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजनाध्कार्यक्रम में अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना एवं अन्य कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013.14 □□ □□ व्ययक में अनुदान संख्या.48 के अन्तर्गत लेखा□शीर्षक-4250-अन्य □□□ज सेवाओं पर पूॅजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-□□ □□□□, लखनऊ तथा गाजियाबाद का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य के नामे □□□ □□□□□

3. यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या-□0-11-350/□□-14 दिनांक 26 फरवरी 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या-354(1)52-3-14-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1.प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय □0प्र0, □□□□□□□
2.□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय □0प्र0, □□□□□□□
3.□□□□/र्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य हज समिति, □□□□□
4.जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
5.□□□धिकारी, वैकल्पिक □□□□,□□□□ □□□ □□□□□
6.वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□
7.प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 □□0एण्ड डी0ए□0, □0प्र जल निगम।
8.वित्त (ई-11) □□□□/□□□□-3/अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ □□□□-1वित्त/अ□-व्ययक-□□□□-1(03प्रतियों में)/□□□ □□□□/□□र्ड □□□
9. □□□ □□□□ □□0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

आज्ञा से

(जय प्रकाश पाण्डेय)
□□ □□□

http://shasanadesh.up.nic.in